(ख) स्थायी समिति ने हाल ही में बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुए) नियम, 1977 के कुछ उपबधों में संशोधन करने हेतु सिफारिश की है।

(ग) और (घ) प्रवर्तन कर्मचारियों को इस विषय में उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, वे समय-समय पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए जाते है। लोगों इत्यादि को शिक्षित करने के लिए, केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर व्यापक प्रचार हेतु प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। राज्य सरकारें कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर आयोजित की जाने वाली "प्रदर्शनियों" मे जनता को कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए अपने स्टॉल लगाती है।

Strategy of BIS to Boost Quality Movement

1715. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether the Bureau of Indian Standards (BIS) has shifted its strategy from a target oriented approach to a need based one to boost the quality movement in the country in view of the economic liberalisation ;

(b) if so, the broad features of the new plan for quality control ;

(c) whether the BIS has also tied up with a leading quality systems certification agency in Germany (DQS) and a subsidiary of DIN the German standards body, for bilaterial co-operation in certification of quality systems ; and

(d) how far this tie-up with German agency will help in the Indian products having easy access to the whole of Europe?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) BIS activities relating to standardization and quality control are always need-based. Recently, new orientation has been given to the selection of subjects for formulation of Indian Standards with the objective of avoiding unnecessary proliferation of standards.

(c) Yes, Sir.

(d) There have been demands from Indian industry to get quality system certificate from leading European certification bodies in addition to BIS so as to maintain a competitive edge in European Union and other developed economies. To fulfil this demand a Memorandum of Understanding has been signed with DQS, Germany.

सुपर बाजार में कार्यरत महिला कमचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

1716. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुपर बाजार की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत महिला कर्मचारियों से उनके अधिकारियों और सहयोगियों द्वारा दुर्व्यवहार और परेशान किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला कर्मचारियो के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें परेशान करने के शाखा-वार कितने मामले हुए और सुपर बाजार के महाप्रबंधक के पास ऐसी कितनी शिकायतें दर्ज हुई;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदनों और शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) सुपर बाजार की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उन्हें तंग करने के बारे मे दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो यशवन्त पैलेस शाखा तथा क्षेत्रीय वितरण केन्द्र त्रिलोकपुरी से संबंधित हैं। दोनों मामलों में जांच की गई थी और दोषी कर्मचारियो को चेतावनी दी गई थी। कार्यबार, सुपर बाजार में पुरुष तथा महिला कर्मचारी समान है और महिला कर्मचारियों के प्रति पुरुष कर्मचारियो द्वारा सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी महिला कर्मचारी के प्रति दुर्व्यवहार का कोई मामला सुपर बाजार की जानकारी में आता है, तो दोषी पाए गए पुरुष कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Assistance from Consumer Welfare Fund to Gujarat

1717. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTON be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat has requested for assistance from the Consumer Welfare Fund during the years 1993-94 and so far in 1994-95 ;

(b) if so, the details thereof ;